कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 5091 /24/आउशि/अका0प्र0/2011 भोपाल, दिनांक– 25-6-11

प्रति,

1. समस्त अतिरिक्त संचालक,
   क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा,
   मध्यप्रदेश
2. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   मध्य प्रदेश
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश

विषयः– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रेगिंग पर अंकुश लगाने हेतु ।

---000---

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग पर अंकुश लगाने हेतु समितियों का गठन किया जाना है । इसके लिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 145/10/आउशि/अप/ दिनांक 2.2.2010 का अवलोकन करें ।

रैंगिंग एक दण्डनीय अपराध है । इस संबंध में विस्तृत विवरण संलग्न है । कृपया निर्देशों का पालन कड़ाई से करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें ।

(डॉ0 बी0एस0 निरंजन)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, म0प्र0

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 887/2009 में पारित निर्णय दिनांक 8.5.2009 के अनुसार राज्य में संचालित उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थाओं में रेगिंग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नांकित समितियां गठित की जाती है:-

1. जिला स्तरीय समिति

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/डायरेक्टर	सदस्य
4.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	सदस्य सचिव
5.	कलेक्टर द्वारा नामकित (क) मीडिया का प्रतिनिधि	
	(ख) अशासकीय संस्था जो युवा विकास के लिए कार्यरत हो	
	(ग) विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के कर्तव्य:-

1. ग्रीष्म कालीन अवकाश के समय शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा रेगिंग की रोकथाम के लिये बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।
2. प्रायवेट छात्रावासों का स्थानीय पुलिस/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय में पंजीयन कराना तथा छात्रावासों के संचालन की अनुमति प्रदान करना।
3. जिला/शहर स्तर पर एन्टी रेगिंग स्कवाड का गठन करना।
4. प्रायवेट कोचिंग केन्द्रो का पंजीयन एवं उनके आसपास स्थित चाय-पानी की दुकानो, जलपाहारगृहों पर सतत निगरानी रखना।

2. विश्वविद्यालय स्तरीय समिति

प्रत्येक विश्वविद्यालय में रेगिंग पर नियंत्रण संबंधी निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1.	छात्र कल्याण अधिष्ठाता	संयोजक
2.	अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद	सदस्य
3.	प्राध्यापक/रीडर/सहा.प्राध्यापक में से 2 प्रतिनिधि	सदस्य

4. कुलसचिव / उपकुलसचिव / सहा.कुलसचिव सदस्य

समिति के कर्तव्य :–

1. अपने अधिकार क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय करना।
2. संस्था प्रमुखों से रेगिंग संबंधी संस्था स्तर पर गठित समितियों स्कवॉड तथा प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।
3. रेगिंग रोकने के तरीकों पर विचार करने के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन तथा काउन्सलिंग–सत्रों का संस्थाओं में आयोजन।
4. रेगिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश में व्यवस्था करना।

3.शिक्षण संस्था स्तरीय समिति:–

शैक्षणिक संस्थान रेगिंग पर नियंत्रण रखने हेतु दो समितियां गठित करेगा:–

क. रैगिंग निरोधक समिति

अध्यक्ष	प्राचार्य / डायरेक्टर / कार्यालय प्रमुख
सदस्य	जिला प्रशासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
सदस्य	पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत सदस्य
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मीडिया का प्रतिनिधि
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्राध्यापक
सदस्य	अशासकीय संस्थान जो युवा वर्ग के विकास के लिये कार्य कर रहें हों, का प्रतिनिधि
सदस्य	पालकगण का प्रतिनिधि
सदस्य	वरिष्ठ विद्यार्थी (छात्रसंघ अध्यक्ष)
सदस्य	नये प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी

समिति के कर्तव्य:–

1.संस्थान में रैगिंग रोकने संबंधी वातावरण निर्मित करने के लिये नीति निर्धारण करना।
2. छात्र छात्राओं की समस्याओं पर विचारोपरांत निर्णय लेना।
3. रैगिंग निरोधक दस्ते को समय–समय पर मार्ग दर्शन देना।

ख. रैगिंग निरोधक दस्ता

1. संस्थान प्रमुख द्वारा मनोनीत प्राध्यापक / सहा.प्राध्यापक — सदस्य
2. संस्थान प्रमुख द्वारा अशैक्षणिक अमले से मनोनीत व्यक्ति — सदस्य
3. जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि — सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि — सदस्य

रैगिंग निरोधक दस्ते के कर्तव्य–

1. यह स्क्वाड रैगिंग की रोकथाम के लिए सदैव सजग रहेगा। सत्र के प्रारंभ से ही हर विद्यार्थियों को संस्था प्रमुख, ऐन्टीरेगिंग समिति, एन्टीरेगिंग स्कवाड स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय प्रशासन के दूरभाष नंबर उपलब्ध कराएगा।

2. सभी विद्यार्थियों / पालकों से यह वचन पत्र लेगा कि वे रैगिंग में भाग नहीं लेंगे और यदि वे रैगिंग में भाग लेते हैं तो उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही उन्हें मान्य होगी।

3. छात्रावास का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेगा और उन स्थानों पर नियंत्रण रखेगा जहां छात्र एकत्रित होते हैं।

4. ऐन्टीरेगिंग स्कवाड, ऐन्टीरेगिंग समिति से समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगा।

जिला प्रशासन के निर्देश

1. सभी निजी छात्रावासों के संचालकों के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन / स्थानीय प्रशासन में पंजीयन करवाना अनिवार्य रहेगा।

2. सभी निजी छात्रावास संचालकों तथा अशासकीय शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी रहेगी कि वे रैगिंग संबंधी घटना की रिपोर्ट दर्ज करावें।

3. स्थानीय प्रशासन निजी छात्रावास संचालकों तथा शिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह विद्यार्थियों के आवागमन पर नजर रखें ताकि रैगिंग की संभावना न रहे। सभी हास्टल प्रभारी, विद्यार्थियों के लिये हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हास्टल वार्डन को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जावे।